<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़।</u>

<u>आदेश सं</u>

अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा निर्गत पत्र संख्या–1416/2021–सीएक्स–3 दिनांकित 11.08.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत पत्रांक–**2009/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/ Dated 18.08.2021** में दिये गये दिशा–निर्देशों के प्रस्तर संख्या–1 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक–1945/LXXXVII- CPC/e- Courts/ Allahabad/ Dated 22.04.2021 के प्रस्तर संख्या–18 एवं पत्रांक–1983/LXXXVII- CPC/e-Courts/ Allahabad/ Dated 20.07.2021 के प्रस्तर संख्या–3 में दिये गये दिशा–निर्देशो, जिसमें प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को अधीनस्थ न्यायालय को बन्द रखने तथा सैनेटाईजेशन हेतु आदेश पारित किया गया था, को वापस ले लिया गया है तथा प्रस्तर संख्या–2 द्वारा पत्रांक संख्या–1983/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 20.07.2021 के प्रस्तर संख्या–3 में दिये गये दिशा–निर्देश को छोड़कर अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहनें का आदेश पारित किया गया है।

अतः दिनांक 21.06.2021 को एवं अन्य शनिवार सिवाय द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर दीवानी न्यायालय प्रतापगढ़ खुली रहेगी एवं पूर्व की भांति कार्य संचालित होगा। चतुर्थ शनिवार को दीवानी न्यायालय प्रतापगढ़ केवल कर्मचारीगण के लिए खुली रहेगी।

सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

S.K. Tiwari
18-8-2021.

दिनांकः 18.08.2021

प्रभारी जनपद न्यायाधीश
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, प्रतापगढ़।
2. पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण, प्रतापगढ़।
3. प्रभारी अधिकारी नजारत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिलाधिकारी प्रतापगढ़।
5. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
7. समस्त बार एसोसिएशन्स, जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़।
8. जेल अधीक्षक, प्रतापगढ़।
9. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर/सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड़ करने के लिए।
10. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
11. समस्त न्यायालय/कार्यालय, प्रतापगढ़ जजशिप।

S.K. Tiwari
18-8-2021

दिनांकः 18.08.2021

प्रभारी जनपद न्यायाधीश
प्रतापगढ़।